# उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
## UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR
बहादराबाद, हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0–बहादराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402
Website : www.usvv. ac.in


पत्रांक–844/प्रशासन/2023 दिनांक–01 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

समस्त छात्र–छात्रा (शिकायतकर्ता)
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

**विषयः– उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या SANS-MISC/MIS/26/2022-XLII-Sanskrit Education Department (Computer No. 15809)I/164434/2023 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ मा0 राज्यपाल उत्तराखण्ड को संबोधित आपका पत्र दिनांकित 06/10/2023 संलग्न कर प्रेषित किया गया है। जिसमें आपके द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से सम्बन्धित अनेक समस्याओं/शिकायतों के निवारणार्थ विनम्र निवेदन किया गया है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि जिन छात्र–छात्राओं द्वारा उक्त पत्र प्रेषित किया गया है उनसे अपेक्षित है कि वे 15 दिनों के अन्दर अपनी शिकायत के सबंध में नियमानुसार शपथ पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

**संलग्नक :–उपरोक्तानुसार शिकायती पत्र।**

भवदीय,

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।**

1. निजी सचिव मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत।
2. उपकुलसचिव।
3. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

I/164434/2023

1074
30/10/23

प्रेषक,

प्रदीप मोहन नौटियाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग　　　　　देहरादून, दिनांकः 26 अक्टूबर, 2023

विषय–उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री जी के सन्दर्भ संख्या–3382/मंत्री/उ0शि0/वि0शि0/2023–24 दिनांक 14.10.2023 के माध्यम से प्राप्त समस्त छात्र/छात्रा, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पत्र दिनांक 06.10.2023 तथा श्री राज कुमार मित्तल, पीर वाली गली, ग्राम बहादराबाद, हरिद्वार के 02 पत्र समदिनांक 13.10.2023 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपनी आख्या यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक –यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Pradeep Mohan Nautiyal
Date: 26-10-2023 10:48:47

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
उप सचिव।

महत्वपूर्ण
उपकुलसचिव

31.10.23

महत्वपूर्ण
श्रीमती तिवारी
पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
31/10/23



Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 26/10/2023 12:06 PM

पत्रांक 3382 /मंत्री/उ.शि./चि.शि./20.23-24
दिनांक 14/10/2023

सचिव- संस्कृत शिक्षा।
कृ० तात्कालिक समस्याओं का शीघ्र निराकरण करें।

दिनांक- 06/10/2023

2764

सेवा में

उपसचिव (संस्कृत)

मानननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड
राजभवन देहरादून उत्तराखण्ड

विश्वविद्यालय से आख्या प्राप्त कर पत्रावली में प्रस्तुत करें।

12/10 (डॉ० धन सिंह रावत)
मंत्री
चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा (माध्यमिक एवं बेसिक)
उत्तराखण्ड सरकार

विषय–: उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार में विद्यमान निम्नांकित अनेक समस्याओं /शिकायतों के निवारणार्थ विनम्र निवेदन।

महोदय!

निवेदन इस प्रकार है कि उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा अपनी प्राचीन धरोहर की रक्षा तथा देवभाषा संस्कृत के विविध पक्षों को जन जन के समक्ष पूर्ण भव्यता व दिव्यता के साथ प्रकाशित करने के उद्देश्य से देवभूमि उत्तराखण्ड के प्रवेश द्वार हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विश्वविद्यालयीय निम्नांकित समस्याओं के चलते हम सभी विद्यार्थियों का अध्ययन व भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिनका माननीय महोदय द्वारा त्वरित समाधान अत्यन्त आवश्यक है । शिकायतें इस प्रकार हैं–

19.10.2023
सचिव
संस्कृत शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

1. पी–एच. डी. प्रवेश परीक्षा 2023–2024 में अनेकों अनियमितताएं हुई हैं–

S.O.
20-10-23

(क) पी–एच. डी. प्रवेश परीक्षा 2023–2024 की विवरणिका में विषय वार सीटों का उल्लेख तो किया गया है लेकिन आरक्षण की दृष्टि से किस वर्ग के लिये कितनी सीटें निर्धारित हैं यह उल्लेख नहीं किया गया है । जिसके चलते कई अनुसूचित जाति आदि वर्ग के छात्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करके भी साक्षात्कार/ प्रवेश से वंचित रह गये।

(ख) पी–एच. डी. प्रवेश में विश्वविद्यालय परिसर छात्रों को 20% तथा संस्कृत परम्परागत छात्रों को 60% वरीयता प्रदान करने संबन्धी नियम का उल्लंघन भी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है ,जो परम्परागत संस्कृत छात्रों के साथ घोर अन्याय भी है।

(ग) कुलसचिव कार्यालयादेश संख्या 597/प्रशासन /2023 दिनांक 18.9.2023 के द्वारा विद्यावारिधि (पी–एच.डी) के सन्दर्भ में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु जो समिति गठित की गयी है ,उसमें एक भी सदस्य परम्परागत संस्कृत विश्वविद्यालय का आचार्य नहीं है, जिससे छात्रों को न्याय मिलना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

(घ) संज्ञान में आया है कि संगठन वाद ,परिवार वाद और सम्प्रदाय वाद करके प्रवेश परीक्षा में कुछ छात्रों के लिये पेपर भी आउट करवाया गया है। इस सम्पूर्ण प्रकरण की



Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 26/10/2023 12:06 PM

यथा शीघ्र उच्चस्तरीय निष्पक्ष जॉच आवश्यक है। जॉच में आरोप सिद्ध होने पर तत्काल पी–एच. डी. प्रवेश परीक्षा 2023–2024 को निरस्त करवाकर पुनः विज्ञापन कराया जाय और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. संस्कृत परम्परागत विश्वविद्यालय को आधुनिक सामान्य विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की साजिश की जा रही है। जिन विषयों में पी जी पाठ्यक्रम नहीं पढाया जाता है, उन विषयों में भी इस वर्ष से पी–एच.डी. पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जबकि किसी भी अन्य संस्कृत परम्परागत विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं होता।

3. विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारी गण अपने चहेतों को साक्षात्कार के विना ही अतिथि अध्यापक के रूप में नियुक्त करने का लगातार प्रयास कर रहें हैं। जो नियम विरूद्ध होगा। इसकी प्रकिया पारदर्शिता के साथ विज्ञापन व साक्षात्कार के माध्यम से की जाय।

4. सत्र 2016–17 एवं सत्र 2017–18 में शास्त्री कक्षा में प्रविष्ट छात्रों का भविष्य संकट में है। विश्वविद्यालय की गलती से उक्त सत्रों में प्रविष्ट लगभग तीन–चार हजार छात्रों के उपाधिपत्र पर ख वर्ग विषय में हिन्दी का उल्लेख ही नहीं है जिससे छात्र एल.टी.में हिन्दी विषय के लिये पात्र नहीं हो पा रहे हैं। यह अत्यन्त ही गम्भीर प्रकरण है जो छात्रों के भविष्य से जुडा है। अनेकों बार आन्दोलन करने पर भी विश्वविद्यालय द्वारा आज की तिथि तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। इस विषय का शीघ्र समाधान अपेक्षित है।

5. विश्वविद्यालय के एक संकाय में अधिनियम का उल्लंघन कर सीनियर प्रोफेसर को संकायाध्यक्ष पद से हटाकर जूनियर शिक्षक एसोसिएट प्रोफेसर को संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया गया है। हाल ही में इसी प्रकार नियमों का उल्लंघन विभागाध्यक्षों को भी बदल दिया है जिससे विद्यापरिषद् व कार्यपरिषद् में मा.कुलपति महोदय के मन के अनुकूल निर्णय हो सकें। अधिनियमोक्त नियमानुसार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् व विद्यापरिषद् के सदस्यों की सदस्यता भी परीक्षण योग्य है।

6. वर्तमान में विश्वविद्यालय, कुलपति व कुलसचिव के कारण राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, जिससे अध्ययन–अध्यापन कार्य बाधित कर शिक्षकों व छात्रों के साथ फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई जा रही है, जिस पर अंकुश लगना अनिवार्य है। अन्यथा विश्वविद्यालय में कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इस माहौल में छात्र भयभीत हैं और अपने को असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं। अपना पक्ष रखने वाले छात्रों को मधुर शब्दों में धमकाने का भी प्रयास किया जाता है।



Generated from eOffice by ALKA BHARTI, RO-AB, REVIEW OFFICER, Sanskrit Education Department on 26/10/2023 12:06 PM

7. वर्तमान में छात्र कल्याण परिषद द्वारा कुलपति महोदय के नियम विरुद्ध कार्यों के विरोध में किये जा रहे आन्दोलन को रोकने के लिये बाहरी लोगों द्वारा छात्रों को धमकी दी जा रही है।

अन्त में महोदय से विनम्र निवेदन है कि विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य संस्कृत परम्परागत प्राचीन विषयों का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। परन्तु कुलपति महोदय द्वारा इस मूल उद्देश्य को ही नष्ट करने का निन्दनीय कार्य किया जा रहा है ,जिससे आये दिन अखबारों में विश्वविद्यालय के नकारात्मक समाचार छप रहें हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए प्रकरणों की उच्चस्तरीय जॉचं करवाकर छात्रों की समस्याओं का समाधान करवाने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. मा॰ मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड सरकार
2. मा॰ संस्कृत शिक्षा मन्त्री उत्तराखण्ड सरकार
3. मा॰ संस्कृत शिक्षा सचिव, उत्तराखण्ड शासन

प्रार्थी गण
समस्त छात्र छात्रा
उ.सं.वि.वि. हरिद्वार

Anjali
अंकित
Nikita
अंकित
दिव्यांशु जोशी
शुभम मिश्रा
आशीष
Siddharth
Megha Chaudhary
vaishali Rani
Abhishek Singh
Kajal Rawat
नितेश
पवन
गौरव
आशुतोष
Sunil
Akhil
Rahul
निर्मल
गिरीश
आशीष
Ashutosh Kala
आदित्य
नरेन्द्र बमोलियाल